प्राथमिक्ता

संख्या-7/यू.ओ.145/नौ.-9-13

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2013

विषय: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सेवायोजकों/ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सरकार के श्रम विभाग द्वारा बनाये गये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो से सम्बंधित सेवायोजको/ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीकरण कराने एवं सेवायोजकों द्वारा निर्माण कार्यो (प्रति संलग्न) की कुल लागत की 01 प्रतिशत धनराशि सेस के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है उक्त सेस की धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं (प्रति संलग्न) हेतु किया जाना है।

2. नागर निकायों के अन्तर्गत वृहद स्तर पर निर्माण कार्य होता है और काफी संख्या में ठेकेदार कार्य करते है। उपलब्ध आंकडों के अनुसार प्रदेश में लगभग 35 लाख निर्माण श्रमिक है, किन्तु अभी तक मात्र 4 लाख निर्माण श्रमिकों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिससे विदित है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रगति अत्यन्त धीमी है। भवन एवं सन्निर्माण कार्यो में योजित श्रमिकों के पंजीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सापेक्ष सेस की धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित जनहित याचिका में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।

http://srasanadesh.up.nic.in

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पात्र 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी निर्माण श्रमिक, जिनके द्वारा पंजीकरण के समय विगत 12 महीनो में 90 तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया हो, का शत-प्रतिशत पंजीकरण अभियान चलाकर सम्बंधित उप श्रमायुक्त से सम्पर्क स्थापित करके श्रम विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। सेवायोजकों/ठेकेदारों को यह भी अवगत करा दिया जाय कि निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण 02 माह के अन्दर न कराने की दशा में उनको कार्य न दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। पंजीकरण के कार्यो में गतिशीलता प्रदान करने के सम्बंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय:

- श्रम विभाग के जिलास्तरीय कार्यालय से निर्माण श्रमिक नि:शुल्क पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते है।
- पंजीकरण फार्म के साथ दो फोटो, आयु प्रमाण-पत्र निर्माण श्रमिक के रूप में विगत 12 महीनों में 90 दिनों तक कार्य करने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।
- श्रमिक पंजीकरण शुल्क रू0 50/- तथा एक वर्ष का अशंदान रू0 50/- जमा कर पंजीकरण संख्या सहित पहचान पत्र प्राप्त करेंगे।
- निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष रू0 50/- अशंदान जमा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित की जानी होगी।
- प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो में योजित होने वाले श्रमिकों को योजनाओ का लाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु श्रमिकों के पंजीकरण कार्य को विशेष अभियान चलाकर एक पक्ष के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य हेतु शहरों/नगरों में श्रमिक अड्डों पर विशेष कैम्प आयोजित किये जाय। इसके अतिरिक्त शासकीय निर्माण तथा निजि ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारियों से व्यकितगत सम्पर्क स्थापित कर कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

4. उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यो से सम्बंधित ठेकेदारों द्वारा समस्त निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जायेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा तथा संविदा अनुबन्ध में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन कार्य का समावेश किया जायेगा तथा इसकी पुष्टि भी सक्षम अधिकारियों द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यो की

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति आदेश में भवन निर्माता/ठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन की अनिवार्यता का भी समावेश किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माणकर्ता/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सूची स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। समय-समय पर नागर निकाय/श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माण/कार्य स्थल का निरीक्षण कर यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है अथवा नहीं।

5. निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार एवं निर्माण श्रमिकों का शत प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने का दायित्व जनपद स्तर पर तैनात नागर निकाय के अधिकारियों का होगा।

6. सेवायोजन/ठेकेदार द्वारा यदि पंजीकरण कार्य में अपेक्षित सहयोग नही किया जाता है तो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रविधानों के अन्तर्गत उनके विरूद्व कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में कार्य आवंटन हेतु उन्हें अपात्र घोषित किया जाय।

7. उल्लेखनिय है कि पंजीकरण एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

उक्त आदेशों का कठ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय

ह0/-

(सी0बी0 पालीवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, श्रम विभाग।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

ह0/-

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in